जारी / प्रमुख सचिव
14/10/19
जारी
14/10/19

संख्या–2500/33–3–2019-20/2019

प्रेषक,

प्रीति शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 14 अक्तूबर, 2019

विषय–पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में महिलापरक कार्यक्रमों / गतिविधियों के अनुश्रवण एवं स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

पंचायतीराज विभाग जनसमुदाय विशेषकर महिला प्रतिनिधियों के क्षमतासंवर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु प्रतिबद्ध है, जिससे कि समुदाय के विकास में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए एक स्वस्थ एवं विकसित समाज की स्थापना की जा सके और महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास एवं संवर्द्धन किया जा सके।

विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत धनराशि से पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत महिलाओं हेतु व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की गतिविधियां आयोजित की जाती है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन गतिविधियों के अनुपालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए–

अ– राज्य वित्त आयोग :–

1– राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत धनराशि से ''प्रिट'' के माध्यम से जनपद एवं विकास खण्ड में निर्वाचित ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत के सभापतियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों आदि हेतु समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षणों का संचालन किया जाता है, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

2– महिला प्रतिनिधियों के आयोजित विकास खण्ड एवं जनपदस्तरीय प्रशिक्षणों में आधारभूत प्रशिक्षण, विभागीय योजनाओं के अतिरिक्त नेतृत्व विकास, लिंग विभेदीकरण, आत्मनिर्भरता एवं अन्य सामाजिक संवेदनशील मुद्दों को भी सम्मिलित किया जाये।

3– उक्त बिन्दुओं पर जनपद एवं राज्य स्तर से नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये तथा भ्रमण की अवधि में प्रतिभागियों विशेषकर महिला प्रतिभागियों से प्रशिक्षण में प्रदान किये गये विषय एवं उन विषयों से उनके अन्दर आये बदलाव तथा उनके पंचायत के विकास में योगदान पर वार्ता कर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाये।

4– इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार ''प्रिट'' द्वारा प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किये जाएँगे।

ब– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान :–

1– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार महिला प्रतिनिधियों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गुणवत्तापरक ढंग से संचालित कराया जाये।

2– महिला प्रतिनिधियों को सहभागी नियोजन (ग्राम पंचायत विकास योजना), पी0ई0एस0 एप्लीकेशन तथा ऑनलाइन भुगतान आदि विषयों पर योग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जाये।

Amit Sri.